मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 629/690/1(3) 82 भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 1982

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 में संशोधन.

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6-5/81/3/एक दिनांक 26 फरवरी, 1982 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 12 मार्च 1982 में प्रकाशित हुई है तथा जिसके अनुसार बगैर आरोप-पत्र जारी किये 45/90 दिन की कालावधि समाप्त होने पर निलंबन आदेश प्रतिसंहृत हो जाने संबंधी संशोधन उपर्युक्त नियमों में किया गया है, के बारे में कतिपय विभागों ने निम्न मुद्दें उपस्थित किए हैं :—

(1) क्या ये संशोधित नियम उन प्रकरणों में भी लागू किए जायेंगे जहां कि शासकीय सेवक को अभियोजन के आधार पर या किसी आयोग द्वारा जांच प्रारंभ किए जाने के कारण निलंबित किया गया हो और नियमों में उल्लिखित 45/90 दिन की अवधि के अंदर आरोप-पत्र आदि जारी न किए जा सके हों?

(2) क्या इन संशोधित नियमों का प्रभाव भूतलक्षी होगा अर्थात् जो शासकीय सेवक उक्त अधिसूचना जारी होने के 90 दिन या उससे भी अधिक समय पूर्व से निलंबित है और जिन्हें आरोप-पत्र आदि जारी नहीं किये गये हैं, क्या उनके निलंबन आदेश उक्त अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रतिसंहृत माने जायेंगे.

2. जहां तक उक्त बिन्दु (1) का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन ऐसे प्रकरणों के संबंध में जारी किया गया है जहां विभागों द्वारा शासकीय सेवकों को निलंबित तो कर दिया जाता है परन्तु कई माह बीत जाने पर भी उन्हें आरोप-पत्र इत्यादि जारी कर नियमित विभागीय जांच प्रारंभ नहीं की जाती. अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त संशोधन केवल विभागीय जांच के मामलों पर ही लागू है. जहां किसी आपराधिक अथवा अभियोजन के मामलों में निलंबन किया जाता है, वहां उक्त संशोधन लागू नहीं होगा. जहां कोई जांच आयोग बिठाये जाने के कारण शासकीय कर्मचारी निलंबित किया गया हो वहां जब तक कि आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय जांच प्रारंभ करने के लिये यदि निलंबन के 45/90 दिन के भीतर आरोप-पत्र आदि नहीं दिये गये हों तो ऐसे मामलों में भी निलंबन आदेश प्रतिसंहृत हो जायेगा.

3. जहां तक बिन्दु (2) का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संशोधित प्रावधान दिनांक 12-3-82, अर्थात जिस दिनांक को वे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं, से लागू होंगे तथा इस दिनांक से पूर्व निलंबन के प्रकरणों में यदि निलंबन दिनांक से 45/90 दिन के भीतर आरोप पत्र आदि नहीं दिये गये हैं, तो दिनांक 12-3-82 से ऐसे निलंबन आदेश अपने आप समाप्त माने जायेंगे.

4. यह प्रश्न भी उपस्थित किया गया है कि उक्त अवधि समाप्त होने पर सक्षम अधिकारी के तुरन्त ही कोई आदेश न होने के कारण संबंधित कर्मचारी को कहां कार्यग्रहण कराया जाए ताकि वह इधर-उधर भटकता न रहे. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी जिस जगह से निलंबित किया गया हो, नियमों में उल्लिखित अवधि समाप्त होने पर वह वहीं अपना कार्यभार ग्रहण करे लें. तत्पश्चात कार्यालय प्रभारी तुरन्त सक्षम अधिकारी की पदस्थापना संबंधी औपचारिक आदेश प्रसारित करने के लिए लिखेंगे. परन्तु यदि 45/90 दिन की अवधि समाप्त होने के तुरन्त उपरान्त अथवा उसके पूर्व ही उस कर्मचारी के पदस्थापना संबंधी कोई आदेश जारी हो गये हों तो फिर उन आदेशों के अनुसार ही कार्रवाई की जायेगी.

हस्ता./
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.